संख्या-21/2016-आडिट-2-635(2)/दस-2016-370(2)/2016

प्रेषक,

सुखद राम पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
(2) निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
(3) कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा।
(4)रजिस्ट्रार,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
(5) रजिस्ट्रार,
दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
(6) रजिस्ट्रार,
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
(7) रजिस्ट्रार,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2016

विषय:- उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के तैनात अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-19/2016-आडिट-2-635/दस-2016-370(2)/2016, दिनांक 09 अगस्त, 2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद के अन्तर्गत कार्यरत कतिपय सहायक निदेशकों/जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति हो जाने के उपरान्त 'उप निदेशक' के पद पर कार्य करने हेतु स्थानान्तरित किया गया है।

2- अत: तत्क्रम में अनुरोध है कि अपने संस्थानों में तैनात सहायक निदेशक, जो उप निदेशक के पद पर पूर्व में प्रोन्नत हो गये हैं, को तत्काल उनके स्थानान्तरण के पद पर कार्यभार ग्रहण कने हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की सूचना शासन को दिनांक 30 अगस्त, 2016 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(सुखद राम पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-21/2016-आडिट-2-635(3)/दस-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवॉ तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरिलिखित संस्थाओं से संबंधित सभी अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कराने एवं नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- वैभागीक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।